उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग,
संख्या-11/2015/174/92-2015-113आरईएस/:2007
दिनांक: लखनऊ: 14 जनवरी, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अन्तर्गत अवर अभियंता से सहायक अभियन्ता के पदों पर पदोन्नति हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र इलाहाबाद के पत्र संख्या-23/1/पी/एस-12/2012-13, दिनांक-10-7-2012 द्वारा प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2335/92-2012-113आरईएस/2007, दिनांक 28-7-2012 द्वारा चयनित अवर अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता के पद पर वेतनमान रू0-15600-39100, ग्रेड वेतन 5400 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से पदोन्नति प्रदान की गयी है।

2- श्री राम केदार मिश्रा, अवर अभियन्ता (सिविल) की सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा सम्पन्न चयन समिति की बैठक दिनांक 02 व 07 जुलाई, 2012 में संस्तुत श्री मिश्रा के बन्द लिफाफे को खोलने के उपरान्त लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-23(1)/पी/एस-12/2012-13, दिनांक 14-2-2014 द्वारा श्री राम केदार मिश्रा, अवर अभियन्ता (ज्येष्ठता क्रमांक-202) को सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु चयन वर्ष 2010-11 के लिये उपयुक्त पाया गया है। अत: लोक सेवा आयोग की उक्त संस्तुति के आधार पर श्री राम केदार मिश्रा, अवर अभियन्ता (सिविल) को सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतनमान रू0-15600-39100, ग्रेड वेतन 5400 में उनसे कनिष्ठ श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता (ज्येष्ठता क्रमांक-203) की सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 28-7-2012 से नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- श्री मिश्रा को उक्तवत पदोन्नति के फलस्वरूप, शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर देय मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ता अनुमन्य होगा।

कुमार कमलेश
प्रमुख सचिव।

संख्या-11/2015/174(1)/92-2014-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मुख्य अभियन्ता (पूर्वी/पश्चिमी) ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को राजकीय बजट के आगामी बजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
5- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
7- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
8- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
9- सम्बन्धित अधिकारी।
10- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in